भारतीय निर्यात-आयात बैंक

सामान्य विनियमावली 1982

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 की उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रस्तावना

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ — 1. इन विनियमों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2002 कहा जाएगा।

परिभाषाएं — 2. इस विनियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो -

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) ''सदस्य'' से प्रबंध समिति के सदस्य अथवा मण्डल द्वारा गठित ऐसी किसी समिति, जिसका गठन एक्ज़िम बैंक मण्डल द्वारा अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किया गया है, का सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) इन विनियमों में ऐसी अन्य अभिव्यक्तियां, जो प्रयुक्त तो हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जिनका प्रयोग अधिनियम में किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम के प्रयोजन से क्रमश: दिए गए हैं।

अध्याय II

मण्डल और प्रबंध समिति की बैठकें

मण्डल की बैठकें

3. @(i) मण्डल की बैठकें एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी कार्यपालक निदेशक द्वारा, जिसे अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अपनी ओर से नामित करेगा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम-से-कम चार बार और प्रत्येक तीन महीनें में कम-से-कम एक बार बुलायी जाएगी।

(ii) कोई भी चार निदेशक किसी भी समय मण्डल की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अनुरोध कर सकते हैं और उन्हें तद्नुसार बैठक आयोजित करनी होगी।

(iii) मण्डल की बैठकें एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा भारत में किसी ऐसे अन्य स्थान में आयोजित की जाएंगी, जो बैठक बुलाने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट हो।

@(iv) मण्डल की बैठक के लिए सामान्यत: कम-से-कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा और इस प्रकार का नोटिस प्रत्येक निदेशक को उसके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा। यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो भारत में प्रत्येक निदेशक को कम-से-कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा ताकि वह बैठक में उपस्थित हो सके। अपरिहार्य कारणों वश जब ऐसी अल्प सूचना नहीं दी जा सकती हो, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक मण्डल की ओर से कार्य करे और मण्डल की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दे।

@ 9 फरवरी, 2002 से संशोधित

(v) मण्डल की बैठक में जिस कार्य-व्यापार के लिए मण्डल की बैठक बुलाई गई है जिससे भिन्न अन्य किसी विषय में कार्य व्यापार, तब तक संचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से सहमति प्राप्त न कर ली जाए।

(vi) मण्डल की किसी बैठक के कार्य-संचालन के लिए कम से कम पाँच निदेशकों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

[@](vii) मण्डल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति निदेशकों की जानकारी के लिए बैठक की तारीख के बाद पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित की जाएगी और उस बैठक या अगली अनुवर्ती बैठक की अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

<u>प्रबंध समिति का गठन और उसकी शक्तियाँ</u>

4. [#](i) एक प्रबंध समिति होगी जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मण्डल के अधिकतम 7 निदेशक शामिल होंगे जिन्हें मण्डल द्वारा नामित किया जाएगा तथा एक्ज़िम बैंक के सामान्य कार्य-व्यापार को संचालित करने के लिए इसके पास पूरी शक्तियाँ होंगी, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अंतर्गत मण्डल के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(ii) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध समिति ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों द्वारा बाध्य होगी, जो मण्डल समय-समय पर उसे देगा।

<u>प्रबंध समिति की बैठकें</u>

5. [@](i) प्रबंध समिति की बैठकें अध्यक्ष अथवा प्रबंधक निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस संबंध में अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एक्ज़िम बैंक के किसी कार्यपालक निदेशक द्वारा समय-समय पर एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर जो बैठकों से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो, बुलाई जाएंगी तथापि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें बुलाई जाएंगी। प्रबंधन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतया कम-से-कम दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी।

[@] 9 फरवरी, 2002 से संशोधित

[#] 19 दिसंबर, 2003 से संशोधित

यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो ऐसी बैठकों के लिए कम-से-कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा बशर्ते अपवाद स्वरूप ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ऐसी अल्प सूचना नहीं दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक, प्रबंधन समिति की ओर से कार्य करें और प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें।

(ii) प्रबंध समिति की बैठक में कार्य-व्यापार संचालित करने के लिए तीन सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(iii) इस विनियम में जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, अधिनियम और इस विनियमावली के उपबंध प्रबंध समिति की बैठकों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे मण्डल की बैठकें हों।

<u>कोई निदेशक या सदस्य ऐसे मामलों में व्यवहार नहीं करेगा जिनसे वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो</u>

6. (1) मण्डल का प्रत्येक निदेशक और प्रबंध समिति का प्रत्येक सदस्य जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा अथवा व्यवस्था, जो कि एक्ज़िम बैंक द्वारा तथा उसकी ओर से की गयी है अथवा की जानेवाली है, के संबंध अथवा हितबद्धता की प्रकृति की जानकारी यथास्थिति मण्डल अथवा प्रबंध समिति की बैठक में देगा।

#परंतु किसी निदेशक अथवा सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार की किसी संविदा या व्यवस्था, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी कंपनी या विदेशी कंपनी के साथ प्रस्तावित है जहाँ संबंध अथवा हितबद्धता केवल इस बात तक सीमित है कि ऐसी कंपनी की शेयर पूँजी में उसकी धारिता एक सौ (100) ईक्विटी शेयरों से अधिक नहीं है, के विषय में संबंध अथवा हितबद्धता की जानकारी दे।

#19 दिसंबर, 2003 से संशोधित

(2) (क) किसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में, मण्डल के किसी निदेशक अथवा प्रबंध समिति के सदस्य, द्वारा इस उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित जानकारी यथास्थिति, मण्डल अथवा, प्रबंध समिति की उस बैठक में दी जाएगी जिसमें संविदा अथवा व्यवस्था निष्पादित करने के प्रश्न पर पहली बार विचार किया जा रहा हो, यदि निदेशक अथवा सदस्य उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित अथवा उसमें हितबद्ध नहीं था तो मण्डल अथवा यथास्थित प्रबंध समिति की उस पहली बैठक में उक्त जानकारी दी जाएगी, जो उसके संबंधित अथवा हितबद्ध हो जाने पर हो रही होगी।

(ख) किसी अन्य संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में यथास्थिति मण्डल अथवा प्रबंध समिति की पहली बैठक, जो कि निदेशक अथवा सदस्य के संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित होने अथवा उसमें हितबद्ध होने के बाद की जाती है, में अपेक्षित जानकारी दी जाएगी।

(3) (क) उप-विनियम (1) और (2) के अभिप्राय के लिए यथास्थिति मण्डल अथवा प्रबंध समिति को किसी निदेशक अथवा सदस्य द्वारा दिया गया सामान्य नोटिस कि वह किसी विनिर्दिष्ट निगमित इकाई का निदेशक अथवा सदस्य है, अथवा किसी फर्म का सदस्य है और उसे किसी ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित अथवा हितबद्ध माना जाए जो उस निगमित इकाई या फर्म के साथ निष्पादित की जानेवाली है, तो उस नोटिस को इस प्रकार की गई किसी संविदा अथवा व्यवस्था के संबंध में, उसके संबंध अथवा हितबद्धता के लिए पर्याप्त जानकारी समझा जाएगा।

(ख) इस प्रकार का कोई सामान्य नोटिस जिस वित्तीय वर्ष के दौरान दिया जाता है उसकी समाप्ति पर समाप्त समझा जाएगा, परंतु उसे एक बार एक और वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जिसके लिए उस वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में, जिसमें वह अन्यथा समाप्त हो जाएगा, नया नोटिस देना होगा।

(ग) इस प्रकार का कोई सामान्य नोटिस और उसका नवीनीकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि इसे यथास्थिति मण्डल अथवा प्रबंध समिति की बैठक में नहीं दिया गया हो अथवा संबंधित निदेशक अथवा सदस्य द्वारा इस प्रकार के उचित कदम न उठाए गए हों, ताकि नोटिस दिए जाने के बाद यथास्थिति मण्डल अथवा प्रबंध समिति की पहली बैठक में इसे लाया जाए तथा पढ़ा जाए।

#(4) मण्डल का कोई निदेशक अथवा प्रबंध समिति का कोई सदस्य यथास्थिति निदेशक अथवा सदस्य के रूप में एक्ज़िम बैंक अथवा की ओर से की गई अथवा की जानेवाली संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी चर्चा में भाग नहीं लेगा और अपना मत नहीं देगा, यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था से संबंधित है अथवा उसमें हितबद्ध है और न ही इस प्रकार के विचार-विमर्श अथवा मतदान के समय गणपूर्ति के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति गिनी जाएगी और यदि वह मतदान करता है तो उसका मत अवैध समझा जाएगा;

#परंतु यह कि यहाँ अंतर्निहीत कुछ भी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के अंतर्गत सार्वजनिक (पब्लिक) कंपनी है अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी निजी (प्राइवेट) कंपनी, जो कि किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसमें निदेशक का एकमात्र हित है, के साथ निष्पादित की गई अथवा की जानेवाली संविदा अथवा व्यवस्था के संबंध में इस लिए लागू नहीं होगा कि :

(i) वह उस कंपनी का निदेशक है तथा एक्ज़िम बैंक द्वारा उसे ऐसा निदेशक नामित किया गया है, अथवा

(ii) वह उस कंपनी का शेयरधारक सदस्य है तथा उस कंपनी की शेयर पूँजी में से उसकी धारिता एक सौ (100) ईक्विटी शेयर से अधिक नहीं है।

#19 दिसंबर, 2003 से संशोधित

<u>अन्य समितियाँ</u>

7. (1) (i) प्रबंध समिति से भिन्न किसी समिति में ऐसे सदस्य होंगे, जो या तो पूर्ण रूप से निदेशक अथवा पूर्ण रूप से अन्य व्यक्ति अथवा आंशिक रूप से निदेशक और आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति होंगे, जैसाकि मण्डल अथवा प्रबंध समिति द्वारा नामित किया गया हो और इस प्रकार के कार्य-व्यापार का संचालन करेंगे, जैसा कि उस समिति को मण्डल अथवा प्रबंध समिति द्वारा सौंपा जाए।

(ii) व्यापार-संचालन में, विनियम 7 (i) के अधीन गठित समिति के सदस्य इस प्रकार के सामान्य अथवा विशेष निदेशों से बाध्य होंगे, जो बोर्ड अथवा प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[@](2) इस प्रकार की किसी समिति की बैठकें एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा भारत के किसी ऐसे स्थान पर बुलाई जाएगी, जो बैठक बुलाने के नोटिस में विनिर्दिष्ट हों। ऐसी बैठक के लिए कम-से-कम दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी। यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो ऐसी बैठकों के लिए कम-से-कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा। परन्तु अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प अवधि सूचना नहीं दी जा सकती हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यदि वे ऐसी समिति का/की सदस्य है और यदि नहीं है तो समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति की ओर से कार्य करें और समिति की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

[@](3) ऐसी किसी समिति की बैठक के लिए उसकी संख्या के एक तिहाई सदस्यों (उस एक तिहाई में निहित किसी अंश को एक पूर्णांकित किया जाएगा) या तीन सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, की गणपूर्ति होगी।

(4) विनियम 6 के उपबंध प्रत्येक सदस्य और इस प्रकार की समिति की बैठकों के संबंध में उसी प्रकार लगू होंगे जिस प्रकार वह विनियम प्रत्येक सदस्य और प्रबंध समिति की बैठकों के लिए लागू होता है;

[@] 9 फरवरी, 2002 से संशोधित

परंतु यह कि यदि इस प्रकार के किसी सदस्य ने विनियम 6 के अधीन मण्डल अथवा प्रबंध समिति को किसी प्रकार का नोटिस दिया है, तो यह उसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उप-विनियम के अनुसरण में अपना संबंध अथवा हितबद्धता पुन: प्रकट करे।

अध्याय III

निदशकों की फीस और भत्ते

निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस और भत्ते

8. (1) अधिनियम की धारा 8 के परंतुक के अधीन -

(i) निदेशक मण्डल की हर बैठक के लिए, जिसमें कि वे उपस्थित रहेंगे, 5000/- रुपये[◙] की फीस पाने के हकदार होंगे;

(ii) प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक के लिए, जिसमें कि वे उपस्थित रहेंगे, 2500/- रुपये[◙] की फीस पाने के हकदार होंगे;

(iii) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे मानदेय सहित किसी प्रकार का पारिश्रमिक न मिलता हो, जो कि एक्ज़िम बैंक से प्राप्त आकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न है, ऐसी समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें कि वह उपस्थित रहता है, 2,500/- रुपये[◙] की फीस पाने के हकदार है।

[◙]भारत सरकार के उनके पत्र एफ. एन.10(6) 2003 आई एफ-I दिनांकित 22 मार्च, 2004 के द्वारा सूचित किया गया अंतिम संशोधन।

(2) इस प्रकार की फीस के अतिरिक्त, निदेशकों और सदस्यों को यात्रा, विराम और आवास सहित अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति ऐसे मानकों के अनुसार की जाएगी, जो समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

अध्याय IV

सामान्य प्रावधान

<u>वह तरीका और रूप जिसमें एक्ज़िम बैंक पर बाध्यकारी संविदाएं निष्पादित की जा सकती हैं</u>

9. (1) एक्ज़िम बैंक की ओर से संविदाएँ निम्न प्रकार से की जा सकती हैं :

(i) कोई भी संविदा, यदि निजी व्यक्तियों के बीच निष्पादित की गई हो और जिसे विधि द्वारा लिखित रूप में होना अपेक्षित है और जिसके अंतर्गत प्रभारित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक है, एक्ज़िम बैंक की ओर से लिखित रूप में निष्पादित की जा सकती है और उसके प्राधिकार, व्यक्त अथवा विवक्षित, के अधीन कार्यरत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसी तरीके से परिवर्तित अथवा निष्पादित की जानी चाहिए।

(ii) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई सभी संविदाएं एक्ज़िम बैंक पर बाध्यकारी होंगी।

<u>केवल मण्डल द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली कतिपय शक्तियाँ</u>

10. (i) अधिनियम अथवा विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, एक्ज़िम बैंक की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग मण्डल द्वारा किया जाएगा, अर्थात;

(क) सामान्य निधि और निर्यात विकास निधि से संबंधित तुलन-पत्रों का अनुमोदन

(ख) सामान्य निधि और निर्यात विकास निधि से संबंधित लाभों तथा अन्य सामान्य एवं आवश्यक उपबंधों के विनियोजन का अनुमोदन

(ग) एक लाख रुपये से अधिक की हानियों/अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन।

[#](ii) अध्यक्ष, यदि वह पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक है तो वह इसमें ऊपर उपबंधित सीमा के सिवाय एक्ज़िम बैंक द्वारा किये जानेवाले सभी अपेक्षित कार्यों को करने हेतु पूर्ण शक्तियों के लिए प्राधिकृत है और साथ ही वह एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों को और कर्मचारियों को कार्यों का आबंटन करने तथा अन्य अधिकारियों को या तो अलग-अलग अथवा अन्यथा विशेष आदेश देने के मार्फत विभिन्न उद्देश्यों के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए भी प्राधिकृत हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत सहायता की मंजूरी तथा संवितरण, वचन पत्रों का पृष्ठांकन और अंतरण स्टॉक रसीदें, स्टॉक डिबेंचरों, शेयर, प्रतिभूतियाँ तथा माल पर हक के विलेख, जो एक्ज़िम बैंक के नाम पर हैं या उसके नाम पर धारित हैं या एक्ज़िम बैंक द्वारा धारित हैं, तथा एक्ज़िम बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित विनियम-पत्र और अन्य लिखतों को तैयार करना, स्वीकार करना और पृष्ठांकन करना तथा ऐसे कारोबार से संबंधित अथवा अनुषंगिक अन्य सभी लेखों, रसीदों और विलेखों पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

<u>वाद पत्र आदि पर हस्ताक्षर करना</u>

11. वाद पत्र, लिखित विवरण, शपथ पत्र तथा कानूनी कार्रवाई से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज़ों पर एक्ज़िम बैंक की ओर से अध्यक्ष द्वारा, यदि वह पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक है अथवा एक्ज़िम बैंक के लिए तथा उसकी ओर से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्ववर्ती विनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त कोई भी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा तथा उनका सत्यापन करेगा।

<u>बाँड का निर्गमन</u>

12. (i) एक्ज़िम बैंक के बाँड अथवा डिबेंचर अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किये जाएंगे, जो एक्ज़िम बैंक के निदेशानुसार ऐसी अन्य मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा मुद्रित, उत्कीर्ण या शिलामुद्रित या छापित होंगे;

[#]19 दिसंबर, 2003 से संशोधित

(ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या अन्यथा छापित हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता की अपनी लिखावट में अंकित हस्ताक्षर के समान वैध होगा।

सामान्य मुद्रा

13. एक्ज़िम बैंक की सामान्य मुद्रा, मण्डल या प्रबंध समिति के संकल्प के अनुसार तथा कम-से-कम दो निदेशकों की उपस्थिति में, जो अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में लिखित पर अपने नामों के हस्ताक्षर करेंगे, के सिवाय किसी लिखत पर नहीं लगायी जाएंगी और निदेशकों के ऐसे हस्ताक्षर साक्षी के रूप में लिखित पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति के हस्ताक्षर से अलग होंगे. जब तक लिखित पर उपर्युक्त अनुसार हस्ताक्षर नहीं होंगे, उसकी कोई वैधता नहीं होगी।

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा

14. एक्ज़िम बैंक के वार्षिक लेखे निम्नलिखित ढंग से तैयार किये जाएंगे :

[¥](i) इस विनियमावली की अनुसूची I, II और III में वर्णित प्ररूप में प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष में ऐसी अन्य तारीख को, जो केन्द्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, सामान्य निधि का तुलन-पत्र और उक्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा; और

(ii) इस विनियमावली की अनुसूची I क तथा II क में वर्णित प्ररूप में प्रत्येक 31 मार्च को या प्रत्येक वर्ष में ऐसी अन्य तारीख को, जो केन्द्र सरकार, शासकिय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, निर्यात विकास निधि का तुलन-पत्र और उक्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा।

[¥] 17 सितंबर, 2005 से प्रतिस्थापित

[¥]अनुसूची I

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

तुलन पत्र यथा दिनांक ____________________ को

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये			अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये
	देयताएँ			
	1.	पूँजी	I	
	2.	आरक्षित निधियाँ	II	
	3.	लाभ और हानि लेखा	III	
	4.	अपरक्राम्य वचन–पत्र बाँड एवं डिबेंचर		
	5.	देय बिल		
	6.	जमा राशियाँ	IV	
	7.	उधार राशियाँ	V	
	8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकता के लिए प्रावधान		
	9.	अन्य देयताएँ		
	योग			
	आस्तियाँ			
	1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	
	2.	निवेश	VII	
	3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	
	4.	विनियम बिल और भुनाये गये/ पुनः भुनाये गये वचनपत्र	IX	
	5.	अचल आस्तियाँ	X	
	6.	अन्य आस्तियाँ	XI	
	योग			

जारी ...2

¥ 17 सितंबर 2005 से प्रतिस्थापित

(2)

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	आकस्मिक देयताएं	
	i) स्वीकृतियाँ, गारटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	
	ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	
	iii) हामीदारी वचबद्धताओं पर	
	iv) अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	
	v) बैंक पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	
	vi) संग्रहण के लिए बिल	
	vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	
	viii) भुनाये गये / पुन: भुनाये गये बिल	
	ix) अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	
	योग	

¥अनुसूची II

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

तुलन पत्र यथा दिनांक ____________________ को

सामान्य निधि

गत वर्ष रुपये		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये
	व्यय		
	1. ब्याज		
	2. ऋण बीमा, फीस और प्रभार		
	3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		
	4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		
	5. लेखा परीक्षा की फीस		
	6. भाड़ा, कर बिजली एवं बीमा प्रीमियम		
	7. संचार व्यय		
	8. विधि विषयक व्यय		
	9. अन्य व्यय	XII	
	10. मूल्य ह्रास		
	11. संभावित ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान		
	12. तुलन पत्र को ले जाया गया लाभ		
	योग		
	आय कर के लिए प्रावधान		
	तुलन–पत्र में अंतरित शेष लाभ		
	आय		
	1. ब्याज और बट्टा	XIII	
	2. विनियम, कमीशन, दलाली और फीस		
	3. अन्य आय	XIV	
	4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि		
	योग		
	लाभ, नीचे लाया गया		
	पुनरांकित पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज – कर का प्रावधान का प्रतिलेखन		

¥ 17 सितंबर, 2005 से प्रतिस्थापित

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

<u>सामान्य निधि</u>

गत वर्ष रुपये			इस वर्ष रुपये
	अनुसूची I :	**पूँजी :**	
		1. प्राधिकृत	
		2. निर्गमित एवं प्रदत्त (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त)	
	अनुसूची II :	**आरक्षित:**	
		1. आरक्षित निधि	
		2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	
		3. अन्य आरक्षित राशियाँ : निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित ऋण शोधन निधि (ऋण–व्यवस्थाएं)	
		4. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	
	अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**	
		1. अनुबंध में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	
		2. घटाकर : विनियोजन :	
		– आरक्षित निधि को अंतरित	
		– निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	
		– ऋण शोधन–निधि को अंतरित	
		– आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	
		– लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के प्रावधान	
		3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	
	अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**	
		(क) भारत में	
		(ख) भारत के बाहर	

गत वर्ष रुपये			इस वर्ष रुपये
	अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**	
		1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :	
		(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	
		(ख) विनियम बिलों पर	
		(ग) राष्ट्रीय औद्यागिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	
		2. भारत सरकार से	
		3. अन्य स्रोतों से :	
		(क) भारत में	
		(ख) भारत के बाहर	
____________			____________
____________			____________
	अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**	
		1. हाथ में नकदी	
		2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	
		3. अन्य बैंकों में शेष :	
		(क) भारत में i) चालू खातों में ii) अन्य जमा खातों में	
		(ख) भारत के बाहर	
		4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	
____________			____________
____________			____________

गत वर्ष रुपये			इस वर्ष रुपये
अनुसूची VII :	**निवेश :** (मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ		
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक		
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक		
	4. नोट, डिबेंचर एवं बाँड		
	5. अन्य		
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम:**		
	1. विदेशी सरकारें		
	2. बैंक :		
	(क) भारत में		
	(ख) भारत के बाहर		
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में		
	(ख) भारत के बाहर		
	4. अन्य		
अनुसूची IX :	**भुनाये गये / पुन: भुनाये गये विनियम बिल और वचन–पत्र :**		
	(क) भारत में		
	(ख) भारत के बाहर		

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :** (लागत पर मूल्य ह्रास घटाकर) 1. परिसर 2. अन्य	
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :** 1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज क) निवेशों पर/बैंक शेष राशियों पर ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर 2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त – भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त 3. विविध पक्षों के पास जमा राशियाँ 4. प्रदत्त अग्रिम आय कर 5. अन्य	
अनुसूची XII :	**अन्य व्यय :** 1. निर्यात संवर्धन व्यय 2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय 3. मरम्मत और रखरखाव 4. मुद्रण और लेखा सामग्री 5. अन्य	
अनुसूची XIII :	**ब्याज एवं छूट :** 1. ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा 2. निवेश / बैंक शेष राशियों पर आय	
अनुसूची XIV :	**अन्य आय :** 1. बिक्री / निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ 2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों पर निवल लाभ 3. अन्य	

¥अनुसूची I-क

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

तुलन पत्र यथा दिनांक ____________________ को

निर्यात विकास निधि

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	देयताएँ	
	1. ऋण :	
	(क) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	2. अनुदान :	
	(क) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	3. उपहार, दान, उपकृतियाँ :	
	(र) सरकार से	
	(ख) अन्य स्रोतों से	
	4. अन्य देयताएं	
	5. लाभ–हानि लेखा	
	योग	
	आस्तियाँ	
	1. बैंक शेष	
	(क) चालू लेखों में	
	(ख) अन्य जमा लेखों में	
	2. निवेश	
	3. ऋण एवं अग्रिम :	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	
	4. भुनाये गये, पुनर्भुनाए गए विनियम बिल और वचन–पत्र	
	(क) भारत में	
	(ख) भारत के बाहर	
	5. अन्य अस्तियाँ	
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज	
	(i) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	
	(ii) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आयकर	
	(ग) अन्य	
	योग	

¥ 17 सितंबर, 2005 से प्रतिस्थापित

निर्यात विकास निधि

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये

आकस्मिक देयताएँ

(i) स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व

(ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर

(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर

(iv) अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ

(v) बैंक पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(vi) संग्रहण के लिए बिल

(vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर

(viii) भुनाये गये / पुन: भुनाये गये बिल

(ix) अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है

¥अनुसूची II-क

लाभ और हानि लेखा यथा ____________ को समाप्त वर्ष के लिए

निर्यात विकास निधि

गत वर्ष रुपये		इस वर्ष रुपये
	व्यय	
	1. ब्याज	
	2. अन्य व्यय	
	3. लाभ तुलनपत्र को ले जाया गया योग	
	योग	
	आयकर के लिए प्रावधान	
	तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ	
	आय	
	1. ब्याज और बट्टा	
	(क) ऋण और अग्रिम राशियों पर	
	(ख) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	
	2. विनियम, कमीशन, दलाली और फीस	
	3. अन्य आय	
	4. तुलन–पत्र को ले जायी गयी हानि	
	योग	
	लाभ, नीचे लाया गया	
	पुनरांकित पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर का प्रावधान का प्रतिलेखन	

¥ 17 सितंबर, 2005 से प्रतिस्थापित

[¥]अनुसूची III

……….. को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी		
	राशि (लाख रुपय में)	
विवरण	**__________ को समाप्त वर्ष (इस वर्ष)**	**__________ को समाप्त वर्ष (गत वर्ष)**
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि		
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि		
– मूल्य ह्रास		
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गम पर बट्टा/व्यय		
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतरण		
– ऋणों / निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना		
– अन्य – उल्लेख करें		
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियाँ		
– चालू देयताएँ		
परिचालनों से नकदी निर्माण		
आय कर / ब्याज कर की अदायगी		
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद		
– निवेशों में निवल परिवर्तन		
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी / से जुटायी गयी निवल नकदी		
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से		
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से		
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल)		
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर से		
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह		
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि (गिरावट)		
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य		
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य		

[¥] 17 सितंबर, 2005 से अन्तर्निविष्ट